

8 13/8/2025

पत्रावली पैरा हुई / प्राची वकील उपा)

प्राची वकील प्रथमा पत्र अन्तर्गत धारा
212 RT Act आगे नहीं चलाना चाहते
हैं अतः प्राची द्वारा उक्त प्रथमा पत्र
अन्तर्गत धारा 212 RT Act परिये
Note Press को खारिज किया जा रहा है
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर
हो व नम्बर है कम है।

Note Press
की प्राची-प्रथमा
पत्र आगे चलाना
नहीं चाहते हैं।

Quaffs

मिल -
सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलासपुर